आर.ई.ओं– 288

CIN:U40109RJ2000SGC016486

प्रभास्मिशशिसूर्ययोः

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

कार्यालय अति. मुख्य अभियंता (पीपीएम)

कमरा नं. 165, पुराना पावर हाऊस, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क जयपुर– 302006

(फोन नं. 0141–2202441)

Website:www.energy.rajasthan.gov.org/jvvnl, email: ceppm@jvvnl.org,

क्र. जे.पी.डी. / अति.मु.अ.(पी.पी.एम) / अधी.अभि.(आर.ई) / अधि.अभि.(II) / प. / प्रे. 297 दि 28-8-2019

आदेश

विषयः–कृषि उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले बैंक खाते के विवरण के संबंध में।

निगम की जानकारी में यह लाया गया है कि प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) योजना का लाभ योग्य कृषि उपभोक्ताओं को बैंक खाते के विवरण के अभाव में पूर्णतया नहीं मिल पा रहा है एवं यह समस्या वहां अधिक है जहां विद्युत कनेक्शन कई खातेदारों के नाम है।

दिनांक 19.08.2019 को श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा) राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में निर्णय लिया है कि निम्नलिखित कार्यो के आवेदन तभी स्वीकार किए जाए, जब तक कि ऐसे कृषि उपभोक्ता अपना बैंक का विवरण (बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, खातेदारों का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड नं.) संबंधित सहायक अभियंता को प्रस्तुत नहीं कर देते है।

1. नया विद्युत कनेक्शन
2. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PMKUSUM) योजना के घटक–C में आवेदन करना
3. कटे हुए कनेक्शन को पुनः जुड़वाना
4. लोड घटाना
5. लोड बढ़ाना
6. स्थाई विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाने बाबत्
7. जमा सुरक्षा राशि को वापस प्राप्त करने हेतु
8. बिल में सुधार करवाना
9. स्थान परिवर्तन
10. नाम परिवर्तन
11. समय–समय पर निगम द्वारा स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना
12. समय–समय पर निगम द्वारा जारी आम माफी योजना (Amnesty Scheme)
13. जले व खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के क्रम में।

उक्त आदेश दिनांक 02.09.2019 से प्रभावी होगें।

(आज्ञा से)

(आर.ए.शर्मा)
अति. मुख्य अभियन्ता (पीपीएम)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

Scanned by CamScanner